

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2026 — ज्येष्ठ 11, शक 1948

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/7327/2026/22-2.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/6-2/पं०ग्रा०वि०वि०/22/2011, दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

सरल क्रमांक 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

अनुसूची

स.क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय - सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	ग्राम पंचायत	कॉलोनाइजर के पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, सचिव.